भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 265

दिनांक 08.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान

265. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अभियान शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एसएचएस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) सरकार द्वारा उक्त अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए/आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): जी, हाँ। स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2022 अभियान का आयोजन 15 सितंबर, 2022 से 2 अक्टूबर, 2022 तक किया गया था। अभियान की मुख्य विशेषताएं थीं: पुराने कचरे

की सफाई पर ध्यान केंद्रित करना, स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण-II की गति में तेजी लाना।

(ग) और (घ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे गांवों में पड़े कूड़े/कचरे को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांवों की स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली स्वच्छता के संबंध में एसएचएस अभियान आयोजित करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अभियान में भाग लिया था।

(ङ): अभियान के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के माध्यम से सूचित किए गए अनुसार, 9,81,64,124 लोगों ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई स्वच्छता गतिविधियों संबंधी श्रमदान में भाग लिया था। 1,59,438 ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस घटकों से संबंधित सरपंच संवाद में 1,68,425 सरपंचों ने भाग लिया था। 14,80,689 पुराने कचरा स्थलों को साफ किया गया था।

(च): एसएचएस का आयोजन स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) घटक के एक भाग के रूप में किया गया था, जिसके लिए कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्तपोषण का 3% तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसएचएस के लिए अलग से कोई निधि स्वीकृत/जारी नहीं की गई थीं।

*****